REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072025-264642 CG-DL-E-14072025-264642

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3133] No. 3133] NEW D

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2025/आषाढ़ 23, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2025/ASHADHA 23, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

का.आ. 3203(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 'बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण' (पैन AAALB0528J), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड को उस प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसचित करती है, अर्थात:

- (क) केन्द्र सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ख) हिमाचल प्रदेश नगर एवं नियोजन अधिनियम, 1977 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां; और
- (ग) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

 (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

 यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के लिए संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना संख्या 114 /2025/फा. सं. 196/23/2014-आईटीए-I(भाग 1)]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

विवरणात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2025

S.O. 3203(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority' (PAN AAALB0528J), an Authority constituted by the State Government of Himachal Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:

- (a) Grants received from Central Government and State Government of Himachal Pradesh;
- (b) Revenue Receipts under HP Town and Planning Act, 1977; and
- (c) Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019 relevant for the financial years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018, respectively.

[Notification No. 114 /2025/F. No. 196/23/2014-ITA-I(Pt.1)]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.